

प्रेषक,

क्षेत्रीय सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
क्षेत्रीय कार्यालय, प्रयागराज।

सेवा में,

प्रबन्धक,
आर्ष गुरुकुल विद्या मन्दिर समिति,
रसूलपुर कायस्थ मडियावं जानकीपुरम विस्तार,
लखनऊ।

रजिस्टर्ड

पत्रांक: मा0शि0प0/क्षे0का0प्र0/मान्यता/

दिनांक

विषय: सीधे हाईस्कूल नवीन (6 व 10) की मान्यता प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

माध्यमिक शिक्षा परिषद् की मान्यता समिति की संस्तुति पर सभापति, माध्यमिक शिक्षा परिषद् के अनुमोदनोपरान्त शासन ने शासनादेश संख्या 912/15-7-2025-1(02)/2025 माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-7 लखनऊ दिनांक 18 जुलाई 2025 के द्वारा इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित-2022) की धारा-7(4) के अन्तर्गत आपकी संस्था आर्ष गुरुकुल विद्या मन्दिर समिति, रसूलपुर कायस्थ मडियावं जानकीपुरम विस्तार, लखनऊ को बालक/बालिका विद्यालय के रूप में सीधे हाईस्कूल नवीन (6 से 10) की मान्यता सभी अनिवार्य विषयों सहित परिषद् की हाईस्कूल परीक्षा वर्ष-2027 से निम्नलिखित सामान्य एवं विशेष प्रतिबन्धों के अधीन दिये जाने का आदेश प्रदान किया है :-

सामान्य प्रतिबन्ध

- (1) प्रबन्धाधिकरण कक्षाएँ संचालित करने के पूर्व शिक्षण कार्य हेतु व्यवस्था, साज-सज्जा, शिक्षण सामग्री तथा विद्यालय के अनुशासन व प्रशासन की व्यवस्था शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार कर जिला विद्यालय निरीक्षक को अवगत कराये।
- (2) इस मान्यता-पत्र के निर्गत होने की तिथि से दो वर्ष के अन्दर ही जिला विद्यालय निरीक्षक एवं परिषद् को कक्षा संचालित करने की विधि व लिखित सूचना रजिस्टर्ड डाक द्वारा दी जाय अन्यथा प्रदत्त मान्यता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
- (3) एक योग्य प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या की नियुक्ति के साथ विषयों के अध्यापनार्थ परिषद् द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यता से युक्त व्यक्तियों को अपने निजी स्रोतों से व्यवस्था के लिये प्रबन्धाधिकरण स्वयं उत्तरदायी होगा।
- (4) विद्यालय संचालन हेतु आवर्तक एवं अनावर्तक समस्त व्यय भार प्रबन्धाधिकरण द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा तथा इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित 2022) की धारा 7(4) के समस्त प्राविधान यथावत् लागू होंगे। इस निमित्त कोई अनुदान देय नहीं होगा।

विशेष प्रतिबन्ध

- (क) संस्था में निर्धारित मानकों के विपरीत यदि कोई तथ्य प्रकाश में आता है तो मानकों की पूर्ति सम्बन्धी आख्या देने वाले जनपदीय/मण्डलीय अधिकारी व कार्मिक व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।
- (ख) यदि प्रदत्त मान्यता के पश्चात् मान्यता प्रदान किये जाने के समय प्रस्तुत संस्था के मानकों में विचलन की स्थिति उत्पन्न होती है तो सम्बन्धित संस्थाधिकारी स्वयं उत्तरदायी होंगे और तदनुसार कमी पाये जाने पर प्रदत्त मान्यता प्रत्याहरित कर ली जायेगी।
- (ग) विद्यालय का प्रबन्धतंत्र प्रत्येक तीन माह में विद्यालय में कार्यरत अध्यापकों एवं कर्मचारियों की सूची उनकी शैक्षणिक योग्यताओं के साथ परिषद् के क्षेत्रीय कार्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायेंगे।
- (घ) विद्यालय में प्राइमरी की कक्षाएं मान्य एवं संचालित नहीं होंगी।
- (ङ) हाईस्कूल की मान्यता सर्व प्रथम तीन वर्ष के लिए प्रदान की जायेगी तदोपरान्त स्ववित्त पोषित संस्था द्वारा विद्यालय संचालन हेतु निर्धारित व्यवस्थाओं की समुचित उपलब्धता और मान्यता की शर्तों के अनुपालन की वस्तुस्थिति के स्थानीय निरीक्षणोपरान्त उपयुक्त पाये जाने पर परिषद् द्वारा पाँच वर्ष के लिए नवीनीकरण किया जायेगा।
- (च) यह मान्यता का आदेश माननीय उच्च न्यायालय में योजित विशेष अपील संख्या-25/2006 मंजू अवस्थी व अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य तथा सम्बद्ध 05 अन्य विशेष अपील में मान० उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.11.2012 के विरुद्ध मान० उच्च न्यायालय में योजित क्लियरी-फिकेशन अप्लीकेशन में पारित होने वाले निर्णय के अधीन होंगे।

टिप्पणी— इस पत्र में अंकित समस्त सामान्य एवं विशेष प्रतिबन्धों की पूर्ति 6(छः) माह के अन्दर किया जाना आवश्यक होगा।

भवदीय,

क्षेत्रीय सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
क्षेत्रीय कार्यालय, प्रयागराज।

पृष्ठांकन सं०:मा०शि०प०/क्ष०का०प्र०/मान्यता/702-1 दिनांक 24-07-2025

प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- जिला विद्यालय निरीक्षक, लखनऊ।
- 2- संयुक्त शिक्षा निदेशक, षष्ठ मण्डल लखनऊ।
- 3- हाईस्कूल परीक्षा अनुभाग, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, क्षेत्रीय कार्यालय, प्रयागराज।
- 4- उप सचिव, (सिस्टम सेल) मा०शि०प०, मुख्य कार्यालय, प्रयागराज।

क्षेत्रीय सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
क्षेत्रीय कार्यालय, प्रयागराज।